

31<sup>8</sup>/<sub>2021</sub>

पत्रावली वकील वादी की और से प्रार्थना पत्र मिसल तलबी पेश होने पर तलब होकर पेश हुई। वकुलाय उभय पक्ष उपस्थित। विभाजन प्रस्ताव पत्रावली पर प्राप्त हो चुका है। विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता उभय पक्षों का सुना गया। वकील वादी का कथन है कि मेरा दावा बटवारे का है प्राथमिक डिक्री दिनांक 05.3.2021 अनुसार तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा विधिवत विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तावित किया है। अतः विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा एफ. डी कर दिया जावे। वकील प्रतिवादीगण ने भी विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जताई। वकुलाय उभय पक्षों को सुनने व पत्रावली एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन करने के पश्चात दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना के दिनांक

28/03/2021 दिनांक 10/03/2021 द्वारा प्रस्तावितानुसार अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव मध्य नक्शा डिक्री का भाग समझा जावे। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दसमदा हेतु पचा डिक्री मुतीव हो। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर वायित दपतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना  
(बृजेश कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (सीकर)

डिकरी व मुकदमे इत्तदाई  
(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाप्ता दीवानी)  
(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना  
व इजलास बृजेश कुमार (आर.ए.एस.) : उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना  
रामजीलाल वगै० बनाम अंकित वगै०

-वादीगण-

-प्रतिवादीगण-

दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 102 सन् 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू बृजेश कुमार (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना व हाजरी श्री नवीन यादव एडवोकेट- वादी मिनजानिब मुद्दई व श्री नत्थुसिंह तंवर एडवोकेट प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुकम दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना के पत्रांक 2848/भू.अ./21 दिनांक 10.08.2021 द्वारा प्रस्तावितानुसार अन्तिम रूप से डिकी किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा डिकी का भाग समझा जावें। तद्वानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

निज.....x.....मुबलिग.....x.....बाबत.....x.....  
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.....x.....फीसदी सलाना  
आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....x.....को अदा करें।  
वसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 31 माह 08 सन् 2021 को जारी की गई।

मुहर



(बृजेश कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना  
नीमकाथाना (सीकर)

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।